कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक 8457 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–471/2019 दिनांक : 12/07/2021

कार्यालय–ज्ञाप

आपका लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–17067एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–471/2019, दिनांक 20.11.2019 द्वारा दिनांक 30.06.2022 तक के लिए किया गया।

उक्त पंजीकरण के समय फर्म के सोल प्रोपराइटर श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह, भीटी, मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ का जिलाधिकारी, मऊ के पत्र सं0–082/शि0लि0–मऊ/2017–18, दिनांक–14.07.2017 द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक–20.11.2019 द्वारा दिनांक–30.06.2022 तक मार्ग कार्यों के श्रेणी 'ए' में पंजीकरण किया गया है। जिलाधिकारी, मऊ ने अपने पत्र सं0–307/शि0लि0/20, दि0–04.06.2020 द्वारा श्री जय प्रकाश सिंह पुत्र श्री कमला सिंह, भीटी, मऊनाथ भंजन, जनपद–मऊ को निर्गत उक्त चरित्र प्रमाण पत्र को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

उक्त प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र सं0–13861एम0टी0/सा0 वर्ग/54एम0–471/2019, दिनांक–10.11.2020 द्वारा कारण बताओ नोटिस ठेकेदार को निर्गत किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर फर्म/टेकेदार के पत्र दिनांक–शून्य जो इस कार्यालय में दिनांक–25.11.2020 को प्राप्त हुआ पर मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लो0नि0वि0 आजमगढ़ को इस कार्यालय के पत्र सं0–14762एम0टी0/सा0 वर्ग/54एम0–471/2019, दिनांक–10.12.2020 द्वारा उत्तर का परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, मऊ ने अपने पत्र सं0–307/शि0लि0/20, दिनांक–04.06.2020 श्री जय प्रकाश सिंह, मोहल्ला–मीटी, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–मऊ के चरित्र प्रमाण पत्र हेतु किए गए आवेदक को पुलिस अधीक्षक की आख्या दिनांक–05.12.2020 के अनुसार पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0–144/2019 धारा 419/420 भा0द0वि0 में वाद विवेचना जरिए अन्तिम रिर्पोट मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जो विचाराधीन न्यायालय है, को चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। तद्नुसार प्रत्यावेदन दिनांक–08.02.2021 निरस्त किया गया है तत्क्रम में शासन के पत्र सं0–366/तेइस–7–2021, दिनांक– 22.03.2021 द्वारा भी प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए है।

उपरोक्त प्रकरण में जिलाधिकारी, मऊ द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाना विधि सम्मत न होने के कारण तथा प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण शासनादेश सं0–2365/एम0एस0/23–पी0 डब्लू0–41एम0 एस0/1954, दिनांक 24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र सं0–362 एम0टी0 जी0/70 एफ–68, दिनांक 08.10.1982 द्वारा निर्गत ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली एवं पंजीकरण से सम्बन्धी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश सं0–4127 एम0 एस0/23सा0 नि0अनु0(7), दिनांक 02.12.1974 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक उक्त फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए डिबार किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किए जाते है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

उक्त आदेश प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लो0नि0वि0 उ0प्र0 के अनुमोदन से निर्गत किये जा रहें है।

12.7.21

(वी0 के0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2),
लो0नि0वि0, लखनऊ